Regd. No. CHD/0093/2012-2014

Haryana Government Gazette

EXTRAORDINARY

Published by Authority

© Govt. of Haryana

CHANDIGARH, WEDNESDAY, MARCH 6, 2013
(PHALGUNA 15, 1934 SAKA)

HARYANA VIDHAN SABHA SECRETARIAT

Notification

The 6th March, 2013

No. 10—HLA of 2013/14.—The Haryana Co-operative Societies Amendment) Bill, 2013, is hereby published for general information under proviso to Rule 128 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Haryana Legislative Assembly :—

Bill No. 10—HLA of 2013

THE HARYANA CO-OPERATIVE SOCIETIES (AMENDMENT) BILL, 2013

A

BILL

further to amend the Haryana Co-operative Societies Act, 1984.

Be it enacted by the Legislature of the State of Haryana in the Sixty-fourth Year of the Republic of India as follows :—

Short title

1. This Act may be called the Haryana Co-operative Societies (Amendment) Act, 2013.

Amendment of preamble to Haryana Act 22 of 1984..

2. For the existing preamble to the Haryana Co-operative Societies Act, 1984 (hereinafter referred to as the principal Act), the following preamble shall be substituted, namely:—

> "to consolidate and amend the law relating to co-operative societies and to facilitate the voluntary formation, autonomous functioning, democratic control and professional management of co-operative societies in the State of Haryana and for matters connected therewith and incidental thereto.".

Amendment of section 2 of Haryana Act, 22 of 1984

3. In sub-section (1) of section 2 of the principal Act,-

(I) after clause (aa), the following clauses shall be inserted, namely:- -

'(ab) "auditor" means an Inspector (Audit), Senior Auditor or Audit Officer appointed in the department of Co-operation;

(ac) "auditing firm" means a chartered accountant or a firm of chartered accountants, who are members of the Institute of Chartered Accountants of India, within the meaning of the Chartered Accountant Act, 1949 (38 of 1949);';

(II) the existing clause (db) shall be omitted;

(III) for clause (e), the following clause shall be substituted, namely: -

'(e) "committee" means the board of directors or the governing body of a co-operative society, by whatever name called, upon which the power of direction and control of the management of the affairs of the society is entrusted to;';

(IV) after clause (ha), the following clause shall be inserted, namely:

' (hb) "election authority" means Co-operative Election Authority constituted under sub-section (1A) of section 28 of this Act;';

(V) for clause (m), the following clauses shall be substituted, namely:- -

(m) "officer" means the President, Vice-President, Chairperson, Vice-Chairperson, Managing Director, Chief Executive Officer, Secretary, Manager, Member of Committee, Treasurer, Liquidator, Administrator appointed, elected or nominated, as the case may be and also includes any other person employed by the Society and empowered under the rules or the bye-laws to give directions in regard to the business of a co-operative society; ';

(VI) for clause (r), the following clause shall be substituted, namely: -

'(r) "Registrar" means a person appointed to perform the function of the Registrar of Co-operative Societies under this Act and includes any person appointed to assist the Registrar when exercising any of the powers of the Registrar;'.

Amendment of section 25 of Haryana Act 22 of 1984

4. In sub-section (3) of section 25 of the principal Act, -

(I) for the words "once in a year", the words "within a period of six months of close of the financial year" shall be substituted; and

(II) after clause (h), the following clause shall be inserted, namely: - -

"(ha) appointment of auditor or auditing firm from the panel prepared by the State Government or authority authorised by the State Government;".

Amendment of section 28 of Haryana Act 22 of 1984.

5. In section 28 of the principal Act, -

(I) in the proviso to sub-section (1), for the words "one woman member", the wordsc "two women members" shall be substituted;

(II) after sub-section (1), the following sub-section shall be inserted, namely: —

"(1A) The State Government may, by notification, constitute an election authority for the superintendence, direction and control of the preparation of electoral rolls for, and the conduct of all elections of a prescribed co-operative society :

Provided that till the time such authority is constituted, the election of such society shall be got conducted by the Registrar or the existing committee of such society, as the case may be.";

(III) in explanation to sub-section (2), for the word "Registrar", the words "election authority" shall be substituted; and

(IV) for sub-section (4), the following sub-section shall be substituted, namely:–

"(4) The committee shall, unless superseded earlier by the Registrar, hold office for a period of five years from the date of election and the term of office bearers shall be coterminous with the term of the committee:

Provided that irrespective of anything contained in the bye-laws, the committee may fill a casual vacancy in the committee by election, if the term of office of the committee is more than half of its original term, or by co-option, if the term of office of the committee is less than half of its original term, as the case may be, out of the same class of members in respect of which the casual vacancy has arisen .".

6. In section 29 of the principal Act,– Amendment of section 29 of Haryana Act 22 of 1984.

(I) for the existing marginal heading, the following marginal heading shall be substituted, namely:- –

"Nomination and co-option on committee.";

(II) second proviso to clause (b) of sub-section (1) shall be omitted;

(III) after sub-section (3), the following sub-section shall be added, namely: -

"(4) In case of co-operative societies other than the Co-operative Banks, persons having experience in the field of banking, management, finance or specialization in any other field relating to the objects and activities undertaken by the co-operative societies shall be co-opted as members of the committee of such society:

Provided that in case of a co-operative bank, two professional directors having experience as specified by the Reserve Bank of India shall be co-opted in the committee, if not already elected:

Provided further that the number of such co-opted members, to be called as functional directors, shall not exceed two in addition to twenty-one directors as specified in clause (xx) of sub-section (2) of section 9A and shall be members but not have the right to vote in any election or be eligible to be elected as office bearer of the committee.".

Amendment of section 30 of Haryana Act 22 of 1984

7. In section 30 of the principal Act, before the first proviso, for the word "Registrar", the words "election authority" shall be substituted.

Amendment of section 33 of Haryana Act 22 of 1984

8. In section 33 of the principal Act, —

(i) for sub-section (1), the following sub-section shall be substituted, *namely*:-

"(1) Wherein any co-operative society, a committee constituted in accordance with the provisions of this Act, rules made thereunder or bye-laws of the society does not exist or has ceased to exist, the Registrar may, notwithstanding anything to the contrary contained in the Act, rules or bye-laws, appoint administrators not exceeding five for a period of six months or one year, as the case may be, as specified under section 34 of the Act or till a committee is constituted under section 28, whichever is earlier:

Provided that the Managing Director appointed under section 31, if any, shall be one of the administrators:

Provided further that the election authority shall cause the election to be held within the period of six months or one year, as the case may be, as specified in section 34 of the Act.";and

(ii) sub-section (3A) shall be omitted.

Amendment of section 34 of Haryana Act 22 of 1984.

9. In section 34 of the principal Act,-

(I) for the existing marginal heading, the following marginal heading shall be substituted, *namely*:—

"Supersession and suspension of committee.";

(II) for sub-section (1), the following sub-section shall be substituted, namely:-

"(1) If, in the opinion of the Registrar, the committee of any co-operative society,-

(i) is persistently making default; or

(ii) is negligent in the performance of its duties imposed on it under this Act or the rules or the bye-laws framed thereunder; or

(iii) has committed any act which is prejudicial to the interest of the society or its members; or

(iv) has failed to conduct elections in accordance with the provisions of this Act; or

(v) has caused a stalemate in the constitution or functions.

the Registrar may, after giving the committee an opportunity to state its objections, if any and considering the objections, if received, by order in writing, supersede the committee and order fresh election of the committee or appoint administrators to manage the affairs of the society for such period not exceeding six months and in case of a co-operative society carrying on the business of banking, for a period not exceeding one year:

Provided that the committee of any such co-operative society shall not be superseded or kept under suspension where there is no Government shareholding or loan or financial assistance or any guarantee by the Government:

Provided further that if the committee of a co-operative bank is superseded, the Registrar shall do so with the approval of the Reserve Bank:

Provided further that in case of a co-operative society carrying on the business of banking, the provisions of the Banking Regulation Act, 1949 shall also apply:

Provided further that the Registrar shall ensure implementation of regulatory prescriptions of the Reserve Bank including supersession of the managing committee of Central Co-operative Bank or the Haryana State Co-operative Apex Bank Limited and the appointment of administrators within one month of being so advised by the Reserve Bank.".

Amendment of section 48 of *Haryana Act 22 of* 1984

10. For section 48 of the principal Act, the following section shall be substituted, namely:—

"48. Balance sheet and other periodical statements. —(1) Every co-operative society shall file prescribed returns within a period of six months of the close of every financial year with the Registrar, including returns on the following matters, namely:—

(a) annual report of its activities;

(b) audited statement of accounts;

(c) plan for surplus disposal as approved by the general body of the society;

(d) list of amendments to the bye-laws of the co-operative society, if any;

(e) declaration regarding date of holding of its general body meeting and conduct of elections, when due; and

(f) any other information required by the Registrar in pursuance of any of the provisions of this Act.

(2) Co-operative Credit Structure other than co-operative bank shall abide by all such directions regarding financial norms, as may be specified by the Registrar in consultation with the National Bank.".

Amendment of section 95 of Haryana Act 22 of 1984.

11. For section 95 of the principal Act, the following section shall be substituted, namely:-

"95. Audit.- (1) The Government or an authority authorised by the Government shall prescribe the minimum qualifications and experience of auditors and auditing firms that shall be eligible for auditing accounts of co-operative societies, approve the panel of auditing firms and shall also fix their remuneration.

(2) Every co-operative society shall get its accounts audited from auditors or empanelled auditing firms at least once in a year, within six months of close of year as per the guidelines issued by the Registrar. In case of failure to do so, the Registrar shall get the accounts audited at the expense of the society.

(3) A person shall not be qualified for appointment as auditing firm of a society, if the proprietor, partner or Director of such firm is,—

(a) an officer or a member or employee of that co-operative society; or

(b) indebted to that co-operative society ;or

(c) who has given any guarantee or provided any security in connection with the indebtedness of any third person to that co-operative society for an amount exceeding five thousand rupees.

(4) If an auditing firm after its appointment becomes subject to any of the disqualifications specified in sub-section (3), it shall be deemed to have vacated its office as such.

(5) The audit under sub-section (1) shall include valuation of assets and liabilities, an examination of balance sheet, profit and loss account and overdue debts, if any, the verification of the cash balance and securities and observance of provisions of this Act, rules, bye-laws made thereunder and various other laws applicable to the working of co-operative society.

(6) The person auditing the accounts of a co-operative society shall have free access to the books, accounts, papers, vouchers, stock and other property of such society and shall be allowed to verify its cash balance and securities.

(7) The members of the committee, manager, administrator or any officer, employee and agent of the society shall furnish to the person auditing the accounts of a co-operative society all such information as to its transactions and working, as required.

(8) The Registrar or the person authorized by him under sub-section (2) to audit the accounts of a society, shall have power where necessary,–

(a) to summon at the time of its audit any officer, agent, servant, member of the society, past or present, or any other person who he has reason to believe can give valuable information in regard to transactions of the society or the management of its affairs; and

(b) to require the production of any book or document relating to the affairs of, or any cash or securities belonging to the society, by officer, agent, servant or member in the possession of such books, documents, cash or securities and in the event of serious irregularities discovered during audit to take these into custody.

(9) If, at the time of audit, the accounts of a society are not complete, the Registrar or the person authorized by him, may cause the accounts of such society to be written and maintained in accordance with accounting procedure in this regard, at the expense of the society.

(10) Where the accounts have been caused to be written and maintained under sub-section (9), the Registrar may after giving such society an opportunity of being heard, make an order requiring the society to pay such costs and compensation, as determined by him.

(11) Audit report of apex societies whose annual turnover is more than one thousand crore rupees shall be laid before the State Legislature.

(12) The Registrar may order for test check of societies audited by the auditing firms in the manner, as may be prescribed.

(13) The Registrar shall get conducted a special audit of Co-operative Credit Structure other than Primary Agriculture Co-operative Societies on the request of the Reserve Bank and shall endorse a copy of the report of such special audit to the Reserve Bank and National Bank.

(14) Audit fee, if any, due from any co-operative society shall be recoverable in the same manner as provided in section 104.".

12. In section 96 of the principal Act, for the word "auditor" wherever occurring, the words "auditor or auditing firms" shall be substituted. Amendment of section 96 of Haryana Act 22 of 1984.

13. In section 117 of the principal Act,- Amendment of section 117 of Haryana Act 22 of 1984.

(I) for existing sub-sections (3), (4) and (5), the following sub-sections shall be substituted, namely:—

"(3) A co-operative society or an officer or a member thereof willfully making a false return or furnishing false information, or any person willfully or without any reasonable excuse, disobeying any summons, requisition or lawful written order issued under the provisions of this Act or willfully not furnishing any information required from him, by a person authorized in this behalf under the provision of this Act, shall be punishable with fine which may extend to ten thousand rupees.

(4) Any employer or officer or agent acting on behalf of such employer who without sufficient cause fails to deposit to a co-operative society, the amount deducted by him under section 45 within a period of fourteen days from the date on which such deduction is made shall, without prejudice to any action that may be taken against him under any law for the time being in force, be punishable with fine which may extend upto ten thousand rupees.

(5) Any officer or custodian who willfully fails to produce or hand over custody of books, record, cash, security and other property belonging to a co-operative society, to a person entitled under sections 50, 51, 95, 97, 98, 99 and 106, shall be punishable with imprisonment for a term which may extend to six months or with fine which may extend to ten thousand rupees or with both and in case of a continuing breach beyond six months with a further fine which may extend to one hundred rupees for every day during which the breach is continued after conviction for the first such breach.";

(II) after sub-section (8), the following sub-sections shall be added, namely:-

"(9) Any officer or employee of a co-operative society giving loans to non-members and other societies including co-operatives without the approval of Registrar, shall be punishable with a fine which may extend upto ten thousand rupees or imprisonment which may extend to six months or both.

(10) If any officer, employee, agent or servant of a society or any other person dealing with the society embezzles money belonging to that society, he shall be punishable with fine which may extend upto ten thousand rupees or imprisonment for a term which may extend upto two years or both.

(11) If any person dishonestly or fraudulently makes or executes or cause to make or execute any document or valuation certificate or project report or register or cause to register any fictitious company or firm or society in order to support any application for loan and thereby induces any society to deliver

any loan to him or to any other person which causes loss to the society, he shall be punishable with fine upto ten thousand rupees or imprisonment for a term which may extend upto two years or both.

(12) Any person who before, during or after the election of the members or committee or officers adopts any corrupt practices shall be punishable with fine which may extend upto ten thousand rupees or imprisonment upto six months or both.

(13) Any person who collects share money for a society and does not deposit the same in the account of the Society in the Bank within fourteen days of its receipt or makes use of funds so raised for personal use or conducting any business or trading in the name of the co-operative society already registered under this Act or otherwise, shall be punishable with a fine extending upto ten thousand rupees or imprisonment extending to six months or both.

(14) Any person who collects share money or any other sum by misrepresentation from a member or prospective member in the name of the Co-operative society registered under this Act shall be punishable with a fine extending upto ten thousand rupees, or imprisonment extending to six months or both.

(15) Any officer or member of a society who destroys, mutilates, tampers or otherwise alters, falsifies or secrets or is privy to the destruction, mutilation, alteration, falsification or secreting of any book, paper or securities or makes or is privy to the belonging to the society, shall be punishable with a fine extending upto ten thousand rupees, or imprisonment extending upto six months or both.

(16) Any person who knowingly gives a false certificate, in whatever form, showing that a person is or is not defaulter or an active member, shall be punishable with a fine extending upto ten thousand rupees.

(17) In a society, where the bye-laws do not provide for acceptance of deposits, and a officer or member accepts deposits on its behalf, shall be punishable with a fine upto ten thousand rupees or imprisonment extending upto one year or both.

(18) If any person willfully or without any reasonable cause does not provide information as per sub-section (2) of section 120, within the period prescribed, shall be punishable with a fine of hundred rupees per day, which may extend to ten thousand rupees

(19) No order under this section shall be passed without giving an opportunity of hearing.

(20) The offences under sub-sections (2), (3), (4), (6), (7), (8), (16) and (18) of this section shall be compoundable by the Registrar.".

Amendment of section 120 of Haryana Act 22 of 1984

14. for existing section 120 of the principal Act, the following section shall be substituted, namely:—

"120. *Copy of Act, rules and bye-laws etc. to be open to inspection*.- (1) Every co-operative society shall keep a copy of this Act, rules and its bye-laws and also a list of its members open to inspection free of charge at all reasonable times at the registered address of the society.

(2) Every co-operative society may provide access to every member of a co-operative society to the books, information and accounts of the co-operative society kept in regular transaction of its business with such member by charging fee, if any, prescribed by the Registrar.".

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

The objects of the Haryana Co-operative Societies (Amendment) Bill, 2013 is to amend the provisions of the Haryana Co-operative Societies Act, 1984 for incorporation and regulation of Co-operative Societies based on the principles of democratic member control, members' economic participation and autonomous functioning. This is a major initiative to strengthen and reinvigorate the Co-operative sector in our State.

The reason of proposed amendments in the Haryana Co-operative Societies Act, 1984 is to bring it in consonance with the Constitution (Ninety Seventh Amendment) Act, 2011.

SATPAL SANGWAN,
Cooperation Minister, Haryana.

The Governor has, in pursuance of Clauses (1) and (3) of Article 207 of the Constitution of India, recommended to the Haryana Legislative Assembly the introduction and consideration of the Bill.

Chandigarh :
The 6th March, 2013

SUMIT KUMAR,
Secretary.

FINANCIAL MEMORANDUM

As stated in the statement of objects and reasons the purpose of the proposed amendment is to amend the provisions of the Haryana Co-operative Societies Act, 1984 for incorporation and regulation of Co-operative Societies based on the principles of democratic member control, members economic participation and autonomous functioning and to bring the Haryana Co-operative Societies Act, 1984 in consonance with the Constitution (Ninety Seventh Amendment) Act, 2011. However, amendment proposed for the constitution of "Election Authority" for superintendence and conduct of elections in co-operative sector will put burden of approximately Rs. 1 crore annually on the exchequer, being administrative cost. Presently, the audit fee is levied by the department for annual audit of societies amounting to Rs. 4.5 crore annually and the proposed provision of option to co-operative societies to get their accounts audited from "auditing firms" may cause partial loss to the exchequer.

[प्राधिकृत अनुवाद]

2013 का विधेयक संख्या 10-एच० एल० ए०

हरियाणा सहकारी सोसाइटी (संशोधन) विधेयक, 2013

हरियाणा सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1984, को आगे संशोधित करने के लिए विधेयक

भारत गणराज्य के चौंसठवें वर्ष में हरियाणा राज्य विधानमण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप मे यह अधिनियमित हो :-

1. यह अधिनियम हरियाणा सहकारी सोसाइटी (संशोधन) अधिनियम, 2013, कहा जा सकता है। संक्षिप्त नाम।

2. हरियाणा सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1984, (जिसे, इसमें, इसके बाद, मूल अधिनियम निर्दिष्ट किया गया है), की विद्यमान प्रस्तावना के स्थान पर, निम्नलिखित प्रस्तावना प्रतिस्थापित की जाएगी, अर्थात् :- 1984 के हरियाणा अधिनियम 22 की प्रस्तावना का संशोधन।

"हरियाणा राज्य में सहकारी सोसाइटियों से सम्बन्धित विधि को समेकित तथा संशोधित करने तथा सहकारी सोसाइटियों को स्वैच्छिक बनाने, स्वायत कृत्य करने, लोकतांत्रिक नियन्त्रण तथा व्यावसायिक प्रबन्धन को सुकर बनाने के लिए तथा उससे सम्बन्धित तथा उनसे आनुषंगिक मामलों के लिए अधिनियम।"।

3. मूल अधिनियम की धारा 2 की उपधारा (1) में,-- 1984 के हरियाणा अधिनियम 22 की धारा 2 का संशोधन।

(I) खण्ड (कक) के बाद, निम्नलिखित खण्ड रखे जाएंगे, अर्थात् :-

'(कख) "लेखापरीक्षक" से अभिप्राय है, सहकारिता विभाग में नियुक्त किया गया निरीक्षक (लेखापरीक्षा), वरिष्ठ लेखापरीक्षक या लेखापरीक्षा अधिकारी;

(कग) "लेखापरीक्षण फर्म" से अभिप्राय है चार्टर्ड अकाउंटेन्ट या चार्टर्ड अकाउंटेन्ट अधिनियम, 1949 (1949 का 38) के अर्थ के भीतर, चार्टर्ड अकाउंटेन्टों की फर्म, जो भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेन्ट संस्था के सदस्य हैं;';

(II) विद्यमान खण्ड (घख) का लोप कर दिया जाएगा;

(III) खण्ड (ङ) के स्थान पर, निम्नलिखित खण्ड प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :–

'(ङ) "समिति" से अभिप्राय है, किसी सहकारी सोसाइटी के निदेशक बोर्ड या शासी निकाय, चाहे वह किसी भी नाम से पुकारा जाए, जिसे सोसाइटी के कार्यकलाप के निर्देशन की शक्ति तथा प्रबन्ध का नियन्त्रण सौंपा गया है;';

(IV) खण्ड (जक) के बाद निम्नलिखित खण्ड रखा जाएगा, अर्थात् :–

'(जख) "निर्वाचन प्राधिकरण" से अभिप्राय है, इस अधिनियम की धारा 28 की उपधारा (1क) के अधीन गठित किया गया सहकारी निर्वाचन प्राधिकरण;';

(V) खण्ड (ड) के स्थान पर, निम्नलिखित खण्ड प्रतिस्थापित किये जाएंगे, अर्थात् :–

'(ड) "अधिकारी" से अभिप्राय है, नियुक्त किया गया, निर्वाचित किया गया या नामनिर्देशित किया गया, जैसी भी स्थिति हो, प्रधान, उपप्रधान, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, प्रबन्ध निदेशक, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, सचिव, प्रबन्धक, समिति का सदस्य, खजांची, समापक, प्रशासक तथा इसमें शामिल हैं, सोसाइटी द्वारा नियोजित तथा किसी सहकारी सोसाइटी के कारबार के सम्बन्ध में निर्देश देने के लिए नियमों या उपविधियों के अधीन सशक्त कोई अन्य व्यक्ति;';

(VI) खण्ड (द) के स्थान पर, निम्नलिखित खण्ड प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :–

'(द) "रजिस्ट्रार" से अभिप्राय है, इस अधिनियम के अधीन सहकारी सोसाइटियों के रजिस्ट्रार के कृत्य का पालन करने के लिए नियुक्त कोई व्यक्ति और इसके अन्तर्गत है, रजिस्ट्रार की सहायता करने के लिए नियुक्त किया गया कोई व्यक्ति जब वह रजिस्ट्रार की शक्तियों में से किसी का प्रयोग कर रहा हो;'।

1984 के हरियाणा अधिनियम 22 की धारा 25 का संशोधन।

4. मूल अधिनियम की धारा 25 की उपधारा (3) में,-

(I) "वर्ष में एक बार" शब्दों के स्थान पर, "वित्तीय वर्ष की समाप्ति के छह मास की अवधि के भीतर" शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे; तथा

(II) खण्ड (ज) के बाद, निम्नलिखित खण्ड रखा जाएगा, अर्थात् :–

"(जक) राज्य सरकार या राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत प्राधिकरण द्वारा तैयार किए गए पैनल से लेखापरीक्षक या लेखापरीक्षण फर्म की नियुक्ति ;"।

5. मूल अधिनियम की धारा 28 में,-- 1984 के हरियाणा अधिनियम 22 की धारा 28 का संशोधन।

(I) उप–धारा (1) के परन्तुक में, "एक महिला सदस्य" शब्दों के स्थान पर, "दो महिला सदस्य" शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे;

(II) उप–धारा (1) के बाद, निम्नलिखित उप--धारा रखी जाएगी, अर्थात्:-

"(1क) राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा, विहित सहकारी सोसाइटी की निर्वाचन नामावली को तैयार करने तथा सभी निर्वाचनों के संचालन के अधीक्षण, निर्देशन तथा नियन्त्रण के लिए निर्वाचन प्राधिकरण का गठन कर सकती है :

परन्तु जिस समय तक ऐसा प्राधिकरण गठित नहीं किया जाता है, तब तक ऐसी सोसाइटी या ऐसी सोसाइटी की विद्यमान समिति, जैसी भी स्थिति हो, का निर्वाचन रजिस्ट्रार द्वारा संचालित करवाया जाएगा।",

(III) उप–धारा (2) की व्याख्या में, "रजिस्ट्रार" शब्द के स्थान पर, "निर्वाचन प्राधिकारी" शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे ; तथा

(IV) उप–धारा (4) के स्थान पर, निम्नलिखित उप–धारा प्रतिस्थापित की जाएगी, अर्थात्:--

"(4) समिति, यदि वह रजिस्ट्रार द्वारा पहले ही अधिक्रांत न कर दी गई हो, निर्वाचन की तिथि से पांच वर्ष की अवधि के लिए पद धारण करेगी, तथा पदधारियों की अवधि समिति की अवधि के समान सहविस्तारी होगी :

परन्तु उपविधियों में दी गई किसी बात के होते हुए भी, समिति, समिति में, यदि समिति की पदावधि इसकी मूल अवधि के आधे से अधिक है, निर्वाचन द्वारा या यदि समिति की पदावधि इसकी मूल अवधि के आधे से कम है, सदस्यों जिनके सम्बन्ध में आकस्मिक रिक्ति हुई है, के उसी वर्ग में से सहयोजन द्वारा, जैसी भी स्थिति हो, समिति में आकस्मिक रिक्ति भर सकती है।"।

6. मूल अधिनियम की धारा 29 में,-- 1984 के हरियाणा अधिनियम 22 की धारा 29 का संशोधन।

(I) विद्यमान उपान्तिक शीर्ष के स्थान पर, निम्नलिखित उपान्तिक शीर्ष प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :–

"समिति में नामनिर्देशन और सहयोजन।",

(II) उप--धारा (1) के खण्ड (ख) के द्वितीय परन्तुक का लोप कर दिया जाएगा।

(III) उप–धारा (3) के बाद, निम्नलिखित उप धारा जोड़ दी जाएगी, अर्थात्:-

"(4) सहकारी बैंकों से भिन्न सहकारी सोसाइटियों के मामले में, बैंकिंग प्रबन्धन, वित्त के क्षेत्र में अनुभव अथवा सहकारी सोसाइटियों द्वारा वचनबद्ध उद्देश्यों तथा कार्यकलापों से सम्बन्धित किसी अन्य क्षेत्र में विशिष्टिकरण रखने वाले व्यक्ति, ऐसी सोसाइटी के सदस्यों के रूप में सहयोजित होंगे :

परन्तु सहकारी बैंक के मामले में, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा *यथाविनिर्दिष्ट अनुभव रखने वाले दो व्यवसायिक निदेशक, यदि पहले* निर्वाचित न हो, समिति में सहयोजित किए जाएंगे :

परन्तु यह और कि कृत्यकारी निदेशकों के रूप में पुकारे जाने वाले ऐसे सहयोजित सदस्यों की संख्या धारा 9क की उप- धारा (2) के खण्ड **(XX)** में यथाविनिर्दिष्ट इक्कीस निदेशकों के अतिरिक्त दो से अधिक नहीं होगी तथा ये सदस्य होंगे किन्तु किसी निर्वाचन में मत का अधिकार नहीं रखेंगे या समिति के पदधारियों के रूप में निर्वाचित किये जाने के लिए पात्र नहीं होंगे।"।

1984 के हरियाणा अधिनियम 22 की धारा 30 का संशोधन।

7. मूल अधिनियम की धारा 30 में, प्रथम परन्तुक से पहले, "रजिस्ट्रार" शब्द के स्थान पर, "निर्वाचन प्राधिकारी" शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे।"।

1984 के हरियाणा अधिनियम 22 की धारा 33 का संशोधन।

8. मूल अधिनियम की धारा 33 में,–

(i) *उप- धारा (1) के स्थान पर, निम्नलिखित उप–धारा प्रतिस्थापित की* जाएगी, अर्थात् :–

"(1) जहां कोई सहकारी सोसाइटी, इस अधिनियम, इसके अधीन बनाए गए नियमों सोसाइटी की उपविधियों के उपबन्धों के अनुसार समिति अस्तित्व में नहीं है या अस्तित्वहीन हो गई है, तो रजिस्ट्रार, अधिनियम, नियमों, या उपविधियों में दी गई किसी बात के प्रतिकूल होते हुए भी, अधिनियम की धारा 34 के अधीन यथा विनिर्दिष्ट या धारा 28 के अधीन समिति गठित किए जाने तक, जो भी पहले हो, छह मास या एक वर्ष की अवधि के लिए, जैसी भी स्थिति हो, पांच से अनधिक प्रशासक नियुक्त कर सकता है :

परन्तु धारा 31 के अधीन नियुक्त किया गया प्रबन्ध निदेशक, यदि कोई हो, प्रशासकों में से एक होगा :

परन्तु यह और कि निर्वाचन प्राधिकारी अधिनियम की धारा 34 में यथा विनिर्दिष्ट, छह मास या एक वर्ष, जैसी भी स्थिति हो, की अवधि के भीतर निर्वाचन करवाएगा।"; तथा

(ii) उपधारा (3क) का लोप कर दिया जाएगा।"।

9. मूल अधिनियम की धारा 34 में,- 1984 के हरियाणा अधिनियम 22 की धारा 34 का संशोधन।

(I) विद्यमान उपान्तिक शीर्ष के स्थान पर, निम्नलिखित उपान्तिक शीर्ष प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :

"समिति का अधिक्रमण तथा निलम्बन।";

(II) उप-धारा (1) के स्थान पर, निम्नलिखित उप-धारा प्रतिस्थापित की जाएगी, अर्थात् :

"(1) यदि रजिस्ट्रार की राय मे किसी सहकारी सोसाइटी की समिति,

(i) लगातार चूक कर रही है ; अथवा

(ii) अधिनियम या इसके अधीन बनाए गए नियमो या उपविधियों के अधीन इस पर अधिरोपित इसके कर्तव्यों के निर्वहन मे लापरवाह है ; अथवा

(iii) कोई कार्य किया है, जो सोसाइटी अथवा इसके सदस्यों के हित के प्रतिकूल है ; अथवा

(iv) इस अधिनियम के उपबन्धों के अनुसार निर्वाचनों के संचालन में असफल हो गई है ; अथवा

(v) समिति के गठन या कृत्यों में गतिरोध किया है ; अथवा

रजिस्ट्रार, समिति को इसके आक्षेप, यदि कोई हो, अभिव्यक्त करने का अवसर देने के बाद, तथा आक्षेप यदि प्राप्त हुए हों पर विचार करके लिखित में आदेश द्वारा, समिति को अधिक्रान्त कर सकता है तथा समिति के नए सिरे से निर्वाचन के आदेश कर सकता है या सोसाइटी के कार्यकलापों का प्रबन्ध करने के लिए छह मास से अनधिक ऐसी अवधि के लिए तथा बैंकिंग का कारबार करने वाली सहकारी सोसाइटी के मामले में एक वर्ष से अनधिक अवधि के लिए प्रशासक नियुक्त कर सकता है :

परन्तु यह और कि किसी ऐसी सहकारी सोसाइटी की समिति अधिक्रान्त नहीं की जाएगी या निलम्बनाधीन नहीं रखी जाएगी जहां सरकार द्वारा सरकारी हिस्सेदारी या ऋण या वित्तीय सहायता या कोई गारन्टी नहीं है :

परन्तु यह और कि यदि सहकारी बैंक की समिति अधिक्रान्त की जाती है, तो रजिस्ट्रार, भारतीय रिजर्व बैंक के अनुमोदन से ऐसा करेगा :

परन्तु यह और कि बैंकिंग का कारबार करने वाली सहकारी सोसाइटी की दशा में, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 के उपबन्ध भी लागू होंगे :

परन्तु यह और कि रजिस्ट्रार, केन्द्रीय सहकारी बैंक या हरियाणा राज्य सहकारी अपैक्स बैंक लिमिटेड की प्रबन्धन समिति के अधिक्रमण सहित रिजर्व बैंक के विनियामक आदेशों के कार्यान्वयन तथा रिजर्व बैंक द्वारा इस प्रकार दिए गए परामर्श के एक मास के भीतर प्रशासकों की नियुक्ति को सुनिश्चित करेगा।"।

1984 के हरियाणा अधिनियम 22 की धारा 48 का संशोधन।

10. मूल अधिनियम की धारा 48 के स्थान पर, निम्नलिखित धारा प्रतिस्थापित की जाएगी, अर्थात् :-

"(48) तुलन-पत्र तथा अन्य आवधिक विवरण.-(1) प्रत्येक सहकारी सोसाइटी निम्नलिखित मामलों पर विवरणियों सहित रजिस्ट्रार का प्रत्येक वित्तीय वर्ष की समाप्ति के छह मास की अवधि के भीतर विहित विवरणियां दायर करेगी, अर्थात :-

(क) इसके कार्यकलापों की वार्षिक रिपोर्ट,

(ख) लेखों का लेखापरीक्षित विवरण,

(ग) साधारण निकाय द्वारा यथा अनुमोदित अधिशेष निपटान के लिए योजना,

(घ) सहकारी सोसाइटी की उप-विधियों के संशोधनों की सूची, यदि कोई हो,

(ङ) इसके साधारण निकाय की बैठक के आयोजन की तिथि तथा निर्वाचन के संचालन के सम्बन्ध में घोषणा, जब यह देय हो, तथा

(च) अधिनियम के किन्हीं उपबन्धों के अनुसरण में रजिस्ट्रार द्वारा अपेक्षित कोई अन्य सूचना।

(2) सहकारी बैंक से भिन्न सहकारी उधार संरचना वित्तीय मानकों बारे में सभी ऐसे निदेशों का पालन करेगी जो राष्ट्रीय बैंक के परामर्श से रजिस्ट्रार द्वारा विनिर्दिष्ट किए जाएं।"।

1984 के हरियाणा अधिनियम 22 की धारा 95 का संशोधन।

11. मूल अधिनियम की धारा 95 के स्थान पर, निम्नलिखित धारा प्रतिस्थापित की जाएगी, अर्थात् :

"95. लेखापरीक्षा. (1) सरकार या सरकार द्वारा प्राधिकृत प्राधिकरण उन लेखापरीक्षकों तथा लेखापरीक्षण करने वाली फर्मों की न्यूनतम योग्यताएं तथा अनुभव विहित करेगी जो सहकारी सोसाइटियों के लेखापरीक्षणों के लिए पात्र होंगे/होंगी, लेखापरीक्षण करने वाली फर्मों के पैनल को अनुमोदित करेगी तथा उनके पारिश्रमिक भी नियत करेगी।

(2) प्रत्येक सहकारी सोसाइटी रजिस्ट्रार द्वारा जारी मार्ग दर्शन के अनुसार वर्ष की समाप्ति के छह मास के भीतर, वर्ष में कम से कम एक बार लेखापरीक्षकों या पैनलित

लेखापरीक्षण फर्मों से इसके लेखे लेखा--परीक्षित करवाएगी। ऐसा करने में असफल रहने पर रजिस्ट्रार सोसाइटी के खर्च पर लेखे लेखा परीक्षित करवाएगा।

(3) कोई भी व्यक्ति सोसाइटी की लेखापरीक्षण फर्म के रूप में नियुक्ति के लिए योग्य नहीं होगा, यदि ऐसी फर्म का स्वत्वधारी, भागीदार या निदेशक,

(क) उस सहकारी सोसाइटी का अधिकारी, सदस्य या कर्मचारी है, अथवा

(ख) उस सहकारी सोसाइटी का ऋणी है ; अथवा

(ग) पांच हजार से अधिक राशि के लिए उस सहकारी सोसाइटी हेतु किसी तीसरे व्यक्ति की ऋणिता के सम्बन्ध में कोई गारन्टी दी गई है या कोई प्रतिभूति उपलब्ध करवाई गई है।

(4) यदि लेखापरीक्षण फर्म उसकी नियुक्ति के बाद उपधारा (3) में विनिर्दिष्ट किन्हीं निरर्हताओं के अध्यधीन हो गई है तो यह समझा जाएगा कि इसने ऐसे रूप में अपना पद रिक्त कर दिया है।

(5) उपधारा (1) के अधीन लेखापरीक्षा में आस्तियों तथा दायित्वों का मूल्यांकन, तुलनपत्र की जांच लाभ तथा हानि लेखा, अतिशोध्य ऋण, यदि कोई हो, नकद शेष तथा प्रतिभूतियों का सत्यापन तथा इस अधिनियम, इसके अधीन बनाए गए नियमों, उपविधियों के उपबन्धों तथा सहकारी सोसाइटी के कामकाज हेतु लागू विभिन्न अन्य विधियों का संप्रेक्षण शामिल होगा।

(6) सहकारी सोसाइटी के लेखों का लेखापरीक्षण करने वाले व्यक्ति को ऐसी सोसाइटी की बहियों, कागजपत्र, वाऊचरों, स्टॉक तथा अन्य सम्पत्ति तक अबाध पहुच होगी तथा इसके नकद शेष तथा प्रतिभूतियों के सत्यापन हेतु अनुज्ञात किया जाएगा।

(7) समिति के सदस्य, प्रबन्धक, प्रशासक या सोसाइटी का कोई अधिकारी, कर्मचारी या अभिकर्ता सहकारी सोसाइटी के लेखों का लेखापरीक्षण करने वाले व्यक्ति को यथा अपेक्षित इसके सव्यवहारों तथा काम--काज के सम्बन्ध में सभी सूचना प्रस्तुत करेगा।

(8) रजिस्ट्रार या उपधारा (2) के अधीन उस द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति को सोसाइटी के लेखों की लेखापरीक्षा करने की जहां आवश्यकता हो, शक्ति होगी,

(क) इसकी लेखापरीक्षा के समय सोसाइटी के भूतपूर्व या वर्तमान किसी ऐसे अधिकारी, अभिकर्ता सेवक या सदस्य या किसी अन्य व्यक्ति को बुला सकता है, जिसके संबंध में उसके पास यह विश्वास करने का कारण है कि वह सोसाइटी के संव्यवहारों या इसके कार्यकलापों के प्रबन्ध के बारे में मूल्यवान जानकारी दे सकता है ; और

(ख) सोसाइटी के कार्यकलाप से सम्बन्धित किसी बही या दस्तावेज या किसी नकदी या प्रतिभूतियों से संबंधी किसी ऐसे अधिकारी, अभिकर्ता,

सेवक या सदस्य द्वारा जिसके कब्जे में ऐसी बहियां दस्तावेज नकदी या प्रतिभूतियां है, प्रस्तुत किये जाने की अपेक्षा कर सकता है और लेखापरीक्षा के दौरान गम्भीर अनियमितताओं का पता लगने की दशा में उन्हें अपनी अभिरक्षा में ले सकता है।

(9) यदि लेखापरीक्षा के समय सोसाइटी के लेखे पूर्ण नहीं हैं, तो रजिस्ट्रार या उस द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति ऐसी सोसाइटी के लेखे इस सम्बन्ध में लेखा प्रकिया के अनुसरण में सोसाइटी के खर्च पर लिखित तथा अनुरक्षित करवा सकता है।

(10) जहां लेखे उपधारा (9) के अधीन लिखित तथा अनुरक्षित करवाए गए हैं रजिस्ट्रार ऐसी सोसाइटी को सुनवाई का अवसर देने के बाद, सोसाइटी को उस द्वारा यथा निर्धारित ऐसी लागतों तथा प्रतिकर का भुगतान करने की अपेक्षा करते हुए आदेश कर सकता है।

(11) शिखर सोसाइटियों की लेखापरीक्षा रिपोर्ट जिनका वार्षिक आवर्त एक हजार करोड रुपये से अधिक है राज्य विधानमण्डल के समक्ष रखा जाएगा।

(12) रजिस्ट्रार, रीति जो विहित की जाए, में लेखापरीक्षण फर्मों द्वारा लेखापरीक्षित सोसाइटियों की सांकेतिक परीक्षा के लिए आदेश कर सकता है।

(13) रजिस्ट्रार रिजर्व बैंक के अनुरोध पर प्राथमिक कृषि सहकारी सोसाइटियों से भिन्न सहकारी उधार संरचना की विशेष लेखापरीक्षा भी संचालित करवाएगा तथा रिजर्व बैंक राष्ट्रीय बैंक को ऐसे विशेष लेखापरीक्षा की रिपोर्ट की प्रति पृष्ठांकित करेगा।

(14) किसी सहकारी सोसाइटी से देय लेखापरीक्षा फीस, यदि कोई हो, धारा 104 में यथा उपबन्धित उसी रीति में वसूलीयोग्य होगी।"।

1984 के हरियाणा अधिनियम 22 की धारा 96 का संशोधन।

12. मूल अधिनियम की धारा 96 में, "लेखापरीक्षक" शब्द जहां कहीं भी आए, के स्थान पर, "लेखापरीक्षक या लेखापरीक्षण फर्म" शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे।

1984 के हरियाणा अधिनियम 22 की धारा 117 का संशोधन।

13. मूल अधिनियम की धारा 117 में,–

(I) विद्यमान उप–धारा (3), (4) तथा (5) के स्थान पर, निम्नलिखित धाराएं प्रतिस्थापित की जाएंगी, अर्थात्:–

"(3) सहकारी सोसायटी या उसका कोई अधिकारी या सदस्य जानबूझकर मिथ्या विवरणी दे रहा है या मिथ्या सूचना प्रस्तुत कर रहा है अथवा कोई व्यक्ति जानबूझकर या बिना किसी युक्तियुक्त हेतुक के इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन जारी किए गए किसी सम्मन, अध्यपेक्षा या विधिपूर्ण लिखित आदेश की अवज्ञा करता है अथवा इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन इस निमित्त प्राधिकृत किसी व्यक्ति द्वारा उससे अपेक्षित कोई सूचना जानबूझकर प्रस्तुत नहीं

कर रहा है, तो वह ऐसे जुर्माने से जो दस हजार रुपये तक हो सकता है, दण्डनीय होगा।

(4) कोई नियोजक या ऐसे नियोजक की ओर से कार्य कर रहा अधिकारी या अभिकर्ता, जो पर्याप्त हेतुक के बिना धारा 45 के अधीन उस द्वारा काटी गई राशि को ऐसी कटौती करने की तिथि से चौदह दिन की अवधि के भीतर किसी सहकारी सोसाइटी को जमा करवाने में असफल रहता है, वह उस समय प्रवृत किसी विधि के अधीन किसी ऐसी कार्यवाही, जो उसके विरुद्ध की जा सकती है, पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना ऐसे जुर्माने से जो दस हजार रुपये तक हो सकता है, दण्डनीय होगा।

(5) कोई अधिकारी या अभिरक्षक, जो धारा 50, 51,95, 97, 98, 99 और 106 के अधीन हकदार किसी व्यक्ति को किसी सहकारी सोसाइटी की बहियां, अभिलेख, नकदी, प्रतिभूति और अन्य सम्पत्ति को प्रस्तुत करने या उसकी अभिरक्षा सौंपने में जानबूझकर असफल रहता है, तो कारावास की ऐसी अवधि से जो छह मास तक हो सकती है या ऐसे जुर्माने से, जो दस हजार रुपये तक हो सकता है या दोनों से, दण्डनीय होगा और छह मास से अधिक चालू रहने वाले भंग की दशा में ऐसे अतिरिक्त जुर्माने से जो ऐसे प्रथम भंग के लिए दोषसिद्धि के पश्चात् प्रत्येक दिन के लिए जिसके दौरान भंग जारी रहता है, एक सौ रुपये तक हो सकता है, दण्डनीय होगा।";

(II) उप-धारा (8) के बाद, निम्नलिखित उप–धाराएं जोड़ दी जाएंगी, अर्थात् :–

"(9) रजिस्ट्रार के अनुमोदन के बिना सहकारी सोसाइटियों सहित गैर सदस्यों या अन्य सोसाइटियों को ऋण देने वाली सहकारी सोसाइटी का कोई अधिकारी या कर्मचारी ऐसे जुर्माने से, जो दस हजार रुपये तक हो सकता है या ऐसे कारावास से जो छह मास तक हो सकता है या दोनों से दण्डनीय होगा।

(10) यदि सोसाइटी का कोई अधिकारी, कर्मचारी, अभिकर्ता या सेवक या सोसाइटी से संव्यवहार कर रहा कोई व्यक्ति उस सोसाइटी से सम्बन्धित धन का गबन करता है, तो वह ऐसे जुर्माने से, जो दस हजार रुपये तक हो सकता है या ऐसी अवधि, जो दो वर्ष तक हो सकती है के कारावास या दोनों से दण्डनीय होगा।

(11) यदि कोई व्यक्ति बेइमानी या धोखे से कोई दस्तावेज या मूल्यांकन प्रमाण–पत्र या परियोजना रिपोर्ट बनाता है या निष्पादित करता है या बनवाता है या निष्पादित करवाता है या ऋण के लिए किसी

आवेदन के समर्थन में काल्पनिक कम्पनी या फर्म या सोसाइटी रजिस्टर करता है या करवाता है तथा इसके द्वारा उसको या किसी अन्य व्यक्ति को जो सोसाइटी को हानि पहुंचाता है किसी ऋण को देने हेतु किसी सोसाइटी को उकसाता है, तो वह ऐसे जुर्माने से जो दस हजार रुपये तक हो सकता है या ऐसी अवधि जो दो वर्ष तक हो सकती है, के कारावास या दोनों से दण्डनीय होगा।

(12) कोई व्यक्ति जो सदस्यों या समिति या अधिकारियों के निर्वाचन से पूर्व, दौरान या बाद में कोई भ्रष्ट आचरण अपनाता है, तो वह ऐसे जुर्माने से जो दस हजार रुपए तक हो सकता है या ऐसे कारावास से जो छह मास तक हो सकता है या दोनों से दण्डनीय होगा।

(13) कोई व्यक्ति जो सोसाइटी के लिए शेयर धन एकत्रित करता है तथा उसकी प्राप्ति के चौदह दिन के भीतर बैंक में सोसाइटी के खाते में उसे जमा नहीं करवाता या इस प्रकार एकत्रित की गई निधियों का वैयक्तिक उपयोग के लिए उपयोग करता है या इस अधिनियम के अधीन या अन्यथा पहले से ही रजिस्टर्ड सहकारी सोसाइटी के नाम से कोई कारबार या व्यापार संचालित करता है, तो वह ऐसे जुर्माने से जो दस हजार रुपये तक हो सकता है या ऐसे कारावास से जो छह मास तक हो सकता है या दोनों से दण्डनीय होगा।

(14) कोई व्यक्ति जो इस अधिनियम के अधीन रजिस्टर्ड सहकारी सोसाइटी के नाम में सदस्यों या भावी सदस्यों से मिथ्या से शेयर धन या कोई अन्य राशि एकत्रित करता है, तो वह ऐसे जुर्माने से जो दस हजार रुपये तक हो सकता है या ऐसे कारावास से जो छह मास तक हो सकता है या दोनों से दण्डनीय होगा।

(15) सोसाइटी का कोई अधिकारी या सदस्य जो किसी बही, कागज पत्रों या प्रतिभूतियों या सामग्री को नष्ट करता है, विकृत करता है, छेड़–छाड़ करता है, या अन्यथा हेर–फेर करता है, में गोलमाल करता है, या छुपाता है या विनाश, विकृत, हेरफेर, गोलमाल या छुपाने का संसर्गी है या सोसाइटी से सम्बन्धित का संसर्गी है, तो वह ऐसे जुर्माने से जो दस हजार रुपये तक हो सकता है या ऐसे कारावास से जो छह मास तक हो सकता है या दोनों से दण्डनीय होगा।

(16) कोई व्यक्ति जो जानबूझकर किसी भी रूप में यह दर्शाते हुए झूठा प्रमाण–पत्र देता है कि व्यक्ति चूककर्ता है या सक्रिय सदस्य है या चूककर्ता नहीं है या सक्रिय सदस्य नहीं है, तो वह ऐसे जुर्माने से जो दस हजार रुपये तक हो सकता है, दण्डनीय होगा।

(17) किसी सोसाइटी में जहां उपविधियां निक्षेपों की स्वीकृति के लिए उपबन्ध नही करती है तथा कोई अधिकारी या सदस्य उसकी ओर से निक्षेपों को स्वीकार करता है, तो वह ऐसे जुर्माने से जो दस हजार रुपये तक हो सकता है या ऐसे कारावास से जो एक वर्ष तक हो सकता है या दोनों से दण्डनीय होगा।

(18) यदि कोई व्यक्ति जानबूझकर या किसी युक्तियुक्त कारण के बिना धारा 120 की उपधारा (2) के अनुसार, विहित अवधि के भीतर, सूचना उपलब्ध नहीं करवाता है तो वह प्रतिदिन सौ रुपये के जुर्माने से, जो दस हजार रुपये तक हो सकता है दण्डनीय होगा।

(19) इस धारा के अधीन कोई भी आदेश सुनवाई का अवसर दिए बिना पारित नहीं किया जाएगा।

(20) इस धारा की उपधारा (2), (3), (4), (6), (7), (8), (16) तथा (18) के अधीन अपराध रजिस्ट्रार द्वारा प्रशम्य किए जाएंगे।"।

1984 के हरियाणा अधिनियम 22 की धारा 120 का संशोधन।

14. मूल अधिनियम की विद्यमान धारा 120 के स्थान पर, निम्नलिखित धारा प्रतिस्थापित की जाएगी, अर्थात्:-

"120. अधिनियम, नियमों तथा उपविधियों इत्यादि की प्रति निरीक्षण के लिए खुली रखना.- (1) प्रत्येक सहकारी सोसाइटी इस अधिनियम, नियमों तथा इसकी उपविधियों की प्रति तथा इसके सदस्यों की सूची भी सोसाइटी के रजिस्टर्ड पते पर सभी युक्तियुक्त समय पर बिना प्रभार के निरीक्षण के लिए खुली रखेगी।

(2) प्रत्येक सहकारी सोसाइटी, सहकारी सोसाइटी के प्रत्येक सदस्य की पहुंच के लिए रजिस्ट्रार द्वारा विहित फीस, यदि कोई हो, प्रभारित करते हुए ऐसे सदस्य के साथ इसके कारबार के नियमित संव्यवहार में रखी गई सहकारी सोसाइटी की बहियां, सूचना तथा लेखें उपलब्ध करवाएगी।"।

उद्देश्यों तथा कारणों का विवरण

हरियाणा सहकारी सोसाइटी (संशोधन) विधेयक, 2013 का उद्देश्य लोकतंत्रात्मक सदस्य नियन्त्रण, सदस्यों की आर्थिक भागीदारी तथा स्वायत्त कृत्य करने के सिद्धान्त पर आधारित सहकारी सोसाइटियों के निगमीकरण तथा विनियमन के लिए हरियाणा सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1984 के उपबन्धों का संशोधित करना है। यह हमारे राज्य में सहकारी क्षेत्र को मजबूत तथा सक्रिय करने के लिए मुख्य पहल है जो बृहत पहुंच सहित आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों की रक्षा के लिए एकमात्र संस्था के रूप में उभरी है।

हरियाणा सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1984 में प्रस्तावित संशोधनों का कारण इसे संविधान (सत्तानवेवां संशोधन) अधिनियम, 2011 के सामंजस्य में लाना है।

सतपाल सांगवान
सहकारिता मंत्री, हरियाणा।

. . .

भारत के संविधान के अनुच्छेद 207 के खण्ड (1) तथा (3) के अनुसरण में राज्यपाल ने हरियाणा विधान सभा से इस विधेयक को प्रस्तुत करने तथा इस पर विचार करने की सिफारिश की है।

चण्डीगढ़ :
दिनांक 6 मार्च, 2013.

सुमित कुमार
सचिव।

वित्तीय ज्ञापन

जैसा कि उद्देश्यों तथा कारणों के विवरण में बताया गया है प्रस्तावित संशोधन का प्रयोजन संविधान (सत्तानवेवां संशोधन) अधिनियम, 2011 के अनुकूल हरियाणा सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1984 को लोकतंत्रात्मक सदस्य नियन्त्रण, सदस्यों की आर्थिक भागीदारी तथा स्वायत कृत्य करने के सिद्धान्त पर आधारित सहकारी सोसाइटियों के निगमीकरण तथा विनियमन के लिए हरियाणा सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1984 के उपबन्धों में संशोधन करना तथा लाना है। तथापि, सहकारी क्षेत्र में निर्वाचनों के अधीक्षण तथा संचालन के लिए "निर्वाचन प्राधिकरण" के गठन के लिए प्रस्तावित संशोधन प्रशासनीय लागत के कारण राजकोष पर लगभग एक करोड़ रुपये वार्षिक का भार डालेगा। वर्तमान में, लेखा परीक्षा फीस 4.5 करोड़ रुपये वार्षिक की राशि सोसाइटियों की वार्षिक लेखा परीक्षा के लिए विभाग द्वारा उद्गृहीत किया जाता है तथा "लेखा परीक्षा फर्मों" से लेखा परीक्षित उनके लेखे प्राप्त करने के लिए सहकारी सोसाइटियों के लिए विकल्प का प्रस्तावित उपबन्ध राजकोष के लिए आंशिक हानि का कारण हो सकता है।

50893—H.V.S.—H.G.P., Chd.